

## CHAPTER - IV

### DETERMINATION OF NATURE OF SUPPLY

#### Section 7 : Inter-State supply.

- (1) Subject to the provisions of section 10, supply of goods, where the location of the supplier and the place of supply are in—
    - (a) two different States;
    - (b) two different Union territories; or
    - (c) a State and a Union territory,shall be treated as a supply of goods in the course of inter-State trade or commerce.
  - (2) Supply of goods imported into the territory of India, till they cross the customs frontiers of India, shall be treated to be a supply of goods in the course of inter-State trade or commerce.
  - (3) Subject to the provisions of section 12, supply of services, where the location of the supplier and the place of supply are in—
    - (a) two different States;
    - (b) two different Union territories; or
    - (c) a State and a Union territory,shall be treated as a supply of services in the course of inter-State trade or commerce.
  - (4) Supply of services imported into the territory of India shall be treated to be a supply of services in the course of inter-State trade or commerce.
  - (5) Supply of goods or services or both, —
    - (a) when the supplier is located in India and the place of supply is outside India;
    - (b) to or by a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit; or
    - (c) in the taxable territory, not being an intra-State supply and not covered elsewhere in this section,shall be treated to be a supply of goods or services or both in the course of inter-State trade or commerce.
-

अध्याय 4

पूर्ति की प्रकृति का अवधारण

धारा 7 : अंतरराज्यिक पूर्ति

(1) धारा 10 के उपबंधों के अध्यधीन, जहां पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान—

(क) दो भिन्न-भिन्न राज्यों में है;

(ख) दो भिन्न-भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों में है; या

(ग) एक राज्य में और एक संघ राज्यक्षेत्र में है;

वहां माल की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित माल की पूर्ति को, जब तक वह भारत की सीमाशुल्क सरहद को पार करता है, अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल की पूर्ति होना समझा जाएगा।

(3) धारा 12 के उपबंधों के अध्यधीन, जहां पूर्तिकार का अवस्थान और पूर्ति का स्थान—

(क) दो भिन्न-भिन्न राज्यों में है;

(ख) दो भिन्न-भिन्न संघ राज्यक्षेत्रों में है; या

(ग) एक राज्य में और एक संघ राज्यक्षेत्र में है;

वहां सेवाओं की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में सेवाओं की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।

(4) भारत के राज्यक्षेत्र में आयातित सेवाओं की पूर्ति को अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में सेवाओं की पूर्ति होना समझा जाएगा।

(5) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति को—

(क) जब पूर्तिकार भारत में अवस्थित है और पूर्ति का स्थान भारत के बाहर है;

(ख) किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को या उसके द्वारा है, या

(ग) कराधेय राज्यक्षेत्र में है, जो कोई अंतरराज्यिक पूर्ति नहीं है और इस धारा में अन्यत्र समाविष्ट नहीं है,

अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के रूप में समझा जाएगा।